न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, नगर उंटारी (गढ़वा)।

उत्तरा० नामांतरण अपील वाद सं 18/16-17

श्रीमति यमुनोत्री देवी ———— अपीलार्थी।

बनाम

यशवन्त यादव वगैरह ———— प्रत्यार्थीगण।

आदेश

5.1.2018 अभिलेख अंतिम निस्तार हेतु उपस्थापित। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से उत्तराधिकार नामांतरण वाद सं० 10/12-13 में दिनांक 9.3.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया है। अपील आवेदन-पत्र समय सीमा के बाद दायर किया गया है जिसके लिए धारा 5 के तहत विलम्ब को दूर करने हेतु आवेदन पत्र दिया गया है। अपील आवेदन-पत्र पर विज्ञ अधिवक्ता को सुना। विलम्ब को दूर करते हुए अपील आवेदन-पत्र अंगीकृत किया गया। तत्पश्चात उभय पक्षों को नोटिस निर्गत करते हुए अंचल अधिकारी, धुरकी से मूल अभिलेख की मांग की गई।

उभय पक्ष उपस्थित होकर अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत किए एवं निम्न न्यायालय से मूल अभिलेख प्राप्त।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि राजस्व ग्राम-सगमा में 3.54 एकड़ एवं ग्राम सेन्हा में 3.10 एकड़ अपीलार्थी एवं प्रत्यार्थीगण के पिता-रामचरण यादव को प्राप्त है। रामचरण यादव के मरणोपरान्त उनके वंशज में उनकी दूसरी पत्नी, 3 तीन पुत्र एवं एक पुत्री बची। मांगधारी के पत्नी से अपीलार्थी ने वर्ष 2012 में निबंधित दस्तावेज सं. 2630 दिनांक 11.6.2012 में ग्राम सगमा में 1.54½ एकड़ खरीद किए हैं। इस प्रकार मांगधारी के संपत्ति में अपीलार्थी का 2/5 अंश हिस्सा का हकदार हो गयी। अपीलार्थी एवं प्रत्यार्थीगण के बीच व्यवहार न्यायालय बंटवारा वाद चल रहा है जिसका वाद सं. 150/2015 है जिसमें अभी तक अपीलार्थी एवं प्रत्यार्थीगण के बीच बंटवारा नहीं हुआ है। प्रत्यार्थी सं. 2 एवं 3 के द्वारा लिखित प्रत्युत्तर

में भी बटवारा नहीं हुआ है का उल्लेख किया है और न्यायालय में उपस्थित होकर भी मौखिक बयान दिया है प्रत्यार्थी सं। जाली पंचनामा तैयार कराकर अंचल अधिकारी के कार्यालय में उक्त अधिकार बटवारा नामांतरण कराया है जिसमें अंचल अधिकारी के द्वारा मांगधारी के अन्य वारिसानों को बिना सूचना निर्गत किए ही बटवारा नामांतरण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है जो गलत है अंचल अधिकारी, धुरकी द्वारा बटवारा नामांतरण वाद सं. 10/12-13 में दिनांक 9.3.2013 को पारित को निरस्त करते हुए अपील आवेदन-पत्र स्वीकृत की जाए। अपीलार्थी अपने दावे के समर्थन में कागजी साक्ष्य निम्नवत है:—

(1) केवाला सं. 2630 दि. 11.6.2012 की छाया प्रति।

प्रत्यार्थी सं. 2 एवं 3 के अधिवक्ता का कथन है कि इसलोगों के बीच कोई बटवारा नहीं हुआ है प्रत्यार्थी 3 न्यायालय में उपस्थित होकर भी मौखिक रूप में बयान दिया कि बटवारा नहीं हुआ है बटवारा वाद गढ़वा व्यवहार न्यायालय में चल रहा है जिसका फैसला नहीं हुआ है प्रत्यार्थी सं. 01 उपस्थित होकर पुकार पर अनुपस्थित। वाद में प्रत्यार्थी सं 1 के द्वारा प्रत्युत्तर दाखिल किया गया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि ग्राम पंचायत में तीनों भाईयों के बीच बटवारा हुआ है जो अभिलेख में संलग्न है बटवारा नामांतरण वर्ष 2012-13 में हुआ है जबकि गढ़वा व्यवहार न्यायालय में वर्ष 2015 में बटवारा वाद दायर किया गया है बटवारा नामांतरण वर्ष 2012-13 में ही हो गया है इतने लम्बे अर्से के बाद अपील दायर किया गया है, जो चलने योग्य नहीं है प्रत्यार्थी सं. 1 के प्रत्युत्तर में उल्लेखित है लेकिन सुनवाई के दौरान प्रत्यार्थी सं. 01 के अधिवक्ता अनुपस्थित।

उभय पक्षों के सिद्ध अधिवक्ताओं को सुना। उभय पक्षों के तर्कों, उपलब्ध कागजात एवं अंचल अधिकारी, धुरकी से प्राप्त प्रस्ताव के अवलोकन से विदित होता है कि बटवारा नामांतरण वाद में मांगधारी के सभी वारिसानों को न तो नोटिस किया है और न तो प्रक्रिया का ही पालन किया गया है मात्र पंचायती बटवारा एवं हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जांच-प्रतिवेदन को

आधार मानकर उक्त दाखिल खारिज नामांतरण की कार्यवाई की गई है जो नियमानुसार प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

अतः अंचल अधिकारी धुरकी के उक्त दाखिल खारिज नामांतरण में दिनांक 9.3.2013 को वाद सं. 10/12-13 में पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन पत्र स्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अंचल अधिकारी, धुरकी को भेजें।

इसी के साथ वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
नगर उंटारी।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
नगर उंटारी।